



क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवम् रोजगार मंत्रालय भारत
सरकार)
Employees' State Insurance
Corporation
(Ministry of Labour & Employment,
Govt. of India)



सत्यमेव जयते

उप क्षेत्रीय कार्यालय, रोहिणी – दिल्ली
/ Sub Regional Office, Rohini – Delhi
(आई.एस.ओ. 9001:2015 प्रमाणित कार्यालय)
/ (An ISO 9001:2015 Certified Office)
डी-11, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085
D-11, Sector-7, Rohini, Delhi-110085
Phone No.011-27048945
Fax No. 011-27056510
Email. dir-rohini@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in

F.NO. D/22/SRO/ROHINI/CO-ORD/VIVIDH/2021-22

Date: 16/11/2021

सेवा मे ,

विषय:- ESIC बीमा मॉड्यूल (Insurance Module) में EPF यू ए एन (UAN) नंबर की सीडिंग के संदर्भ में

महोदय/महोदया,

आपको सूचित किया जाता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा बीमा मॉड्यूल में एक नया प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत नियोक्ता बीमा मॉड्यूल (Insurance Module) के माध्यम से बीमित व्यक्ति की EPF द्वारा प्रदत्त यू ए एन (UAN) संख्या दर्ज कर सकते हैं (एक बीमित व्यक्ति या अधिकतम 500 बीमित व्यक्तियों (excel sheet में) को एक बार में अपलोड किया जा सकता है)।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके संस्थान में कार्यरत सभी बीमितों की EPF UAN संख्या जल्द से जल्द ESIC बीमा मॉड्यूल में प्रविष्ट करने का श्रम करें। इसके लिए आप www.esic.in पर Employer Login कर उक्त कार्य कर सकते हैं। यह भी सुनिश्चित करें कि दिसम्बर, 2021 तक सभी बीमितों की प्रविष्टि ESIC बीमा मॉड्यूल में पूरी कर ली जाए।

इस संबंध में किसी भी स्पष्टीकरण/दिशानिर्देश हेतु कर्मचारी राज्य बीमा निगम के शाखा कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

भवदीय

(राकेश कुमार)

सह निदेशक